


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 01/10/15 at time 6:00 PM at Almora in which application claiming rights of **ChanaJamradi, Naugaon, Belwal gaon** area measuring **0.972 hec.** for the **Construction of Jamradi bend to belwal gaon Motor Road (3.00 km.) in Almora** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhainsiyachhana** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora


01/10/15
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:


विवा समाज कल्याण अधिकारी
खल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated...01.10.2015....


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.972 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Jamradi bend to belwal gaon Motor Road (3.00 km.) in Almora district falls within jurisdiction of Chana Jamradi, Naugaon, Belwal gaon Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.972 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above


01/10/15
Vinod kumar Suman
District Collector, Almora

विवा समाज कल्याण अधिकारी
बलबोड़ा

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated..01-10-2015.....


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.972 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Jamradi bend to belwal gaon Motor Road (3.00 km.) in Almora district falls within jurisdiction of Chana Jamradi, Naugaon, Belwal gaon Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.972 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **ChanaJamradi, Naugaon, Belwal gaon** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above


 Vinod kumar Suman
 District Collector, Almora


 विवा समाज कल्याण अधिकारी
 अल्मोड़ा

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुरूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण (ल0 3.00 किमी0) के निर्माण हेतु 0.972 हे0.भूमि, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

21'
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील व जनपद अल्मोड़ा

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 3.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण (ल0 3.00 किमी0) के निर्माण हेतु सिविल भूमि 0.972 है0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक 18.05.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रिकू बिष्ट, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्रीमती रिकू बिष्ट, उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा, अध्यक्ष
- 2- श्री अम्बेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
- 4- श्री रवि कुमार बी0डी0सी0 क्षेत्र हटौला सदस्य


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण (ल0 3.00 किमी0) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

प्रपत्र-30.4

दिनांक 18-05-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति





ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	वासन्त सिंह नेगी	वासन्त सिंह
2-	रवीम सिंह	रवीम सिंह
3-	वलवन्त सिंह	वलवन्त सिंह
4-	अमर सिंह	अमर सिंह
5-	चन्द सिंह	चन्द सिंह
6-	महेश लाल	महेश लाल
7-	भीम सिंह	भीम सिंह



 प्रधान
 ग्राम पंचायत बुंगा
 वि. स.-धनियाँठावा
 जिला-अरमोहा


दिनांक 18.05.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बैलवाल गांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	मोहन सिंह पुत्र स्व: अशोद सिंह	
02	महेन्द्र सिंह पुत्र स्व: अशोद सिंह	महेन्द्र सिंह
03	महिपाल सिंह पुत्र स्व: मदन सिंह	
04	दान सिंह पुत्र स्व: पदम सिंह	दान सिंह
05	दीवान सिंह पुत्र स्व: पदम सिंह	दीवान सिंह
06	रमेश सिंह पुत्र दीवान सिंह	
07	हरीश चंद्र सिंह पुत्र दान सिंह	
08	गोपाल सिंह पुत्र स्व: केशर सिंह	गोपाल सिंह
09	दीवान सिंह पुत्र गोपाल सिंह	दीवान सिंह
10	श्रीमती शांति देवी पत्नी दीवान सिंह	शान्ति देवी
11	श्रीमती वसंती देवी पत्नी स्व: मदन सिंह	वसन्ती

प्रमाणित


V. P. D. O.
Gram Panchayat, Bhalgaon
Block-Bhainsivachhna(Aimora)


ग्राम प्रधान
अशोद की

ग्राम पंचायत बैलवाल गांव
वि० ख०-भंसीवाछाना
जिला-अमरकोट

प्रपत्र-30.3

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 3.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम **बेलवाल गांव**


तहसील व जिला-अल्मोड़ा


अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण (ल0 3.00 किमी0) के निर्माण हेतु सिविल भूमि 0.972 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **बेलवाल गांव** द्वारा दिनांक **18.05.2015** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **बेलवाल गांव**

प्रस्ताव सं० - 16 के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव
Gram Panchayat...
Block-Bhainsivachnana(Aimora)


ग्राम पंचायत बेलवाल
बि० ख०-बेलवालगांव
जिला-अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत बेलवालगांव
बि० ख०-बेलवालगांव
जिला-अल्मोड़ा

माननीय मुख्यमंत्री घोशणा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।
(लम्बाई-3.00 किमी०)


चिन्ह सूची-2

79°48'0"E

79°48'20"E

79°48'40"E

1:10,000



विद्युत् संख्या 2

1:50,000




वि.सं. संख्या-1

1.1

प्रारूप-1

TO WHOM IT MAY CONCERN

Er. S.D. Pandey, Asst. Engineer, Construction division, PWD, Almora is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of construction Division, PWD, Almora.


Executive Engineer
C.D. P.W.D., Almora

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक 2851 / 3सी (व.भू)

दिनांक 18/03/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम,
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0 15129/2015)

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक -मैमो/12-1 दि0 26.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा बिन्दु सं0 1 से 03 तक आपत्ति लगायी गयी है। आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Authority letter uploaded in Part I is not matching with the details of the applicant.	Authority letter Part I में आन लाईन कर प्रेषित किया जा रहा है।
2	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C iv Part I online, geo co-ordinates are shown on map for only six points which does not serve the purpose. May upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo co-ordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	प्रस्तावित समरेखन का डिजिटल मैप पार्ट- I के C iv में जो six points दर्शाकर अपलोड किया गया था, उसे पुनः तैयार कर 200 से 300मी0 में points दर्शाकर आनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया जा रहा है।
3	The village level committee proceeding for village through which the proposed alignment is passing is not provided with the FRA certificate uploaded in online Part I. VLC proceeding provided pertaining to only one village while the proposal as per village wise break up involved boundary of two	वनाधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण-पत्र तैयार कर पार्ट- I में आन लाईन कर दिया गया है तथा village wise details पार्ट- I में आन लाईन कर दी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, अल्मोड़ा